छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक : एफ 5—14 / 2017 / 18 नया रायपुर, दिनांक 26 अगस्त, 2017

प्रति

समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायत,
छत्तीसगढ़।

विषय :— छ.ग. की पालिकाओं एव नगर पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपभोक्ता प्रभार शुल्क अधिसूचित करने के संबंध में।

—0—

विषयांतर्गत छ.ग. की पालिकाओं एव नगर पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपभोक्ता प्रभार शुल्क अधिसूचित करने के संबंध में छ.ग. (साधारण) राजपत्र दिनांक 28 जुलाई 2017 में प्रकाशन किया गया है। अधिसूचना की प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया प्रकाशित अधिसूचना अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

(एच.आर. दुबे) 26/8
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
नया रायपुर, दिनांक 26 अगस्त, 2017

पृ. क्रमांक : एफ 5—14 / 2017 / 18

प्रतिलिपिः—

1. विशेष सहायक, मानीय मंत्रीजी, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्रालय, नया रायपुर।
2. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, नया रायपुर।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नया रायपुर।
4. मुख्य अभियंता, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर।
5. समस्त संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग.।
6. प्रोग्रामर, डाटा सेन्टर, संचालनालय, न.प्र.वि. को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

7. रिकार्ड फाईल,

अवर सचिव 26/8
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 5–14/2017/18.– छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 127–ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नगरीय ठोस अपशिष्ट (कूड़े) के घर–घर से संग्रहण के लिये उपभोक्ता प्रभारों के संबंध में निम्नलिखित सामान्य आदेश जारी करती है, अर्थात्,–

(1) यथास्थिति, नगरपालिका या नगर पंचायत, नगर के ऐसे वार्ड में, जहाँ विभिन्न अपशिष्ट (कूड़े) का संग्रहण घर–घर से प्रारंभ किया गया हो, सेवा प्रारंभ होने की तारीख से, ऐसी दरों पर, जो नीचे दी गई तालिका में वर्णित से कम नहीं होगी, उपभोक्ता प्रभार की वसूली करेगा, अर्थात्:–

तालिका

स.क्र.	उपभोक्ता संवर्ग	उपभोक्ता प्रभार प्रति माह रूपये में		टिप्पणियां
		नगरपालिका परिषद्	नगर पंचायत	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आवास			
(क)	क्षेत्रफल 500 वर्गफुट तक	20.00	20.00	अतिगरीब, निराश्रित (आश्रयहीन) विधवा, परित्यक्ता महिला, दिव्यांग एवं कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों को उपभोक्ता प्रभार के भुगतान से छूट रहेगी।
(ख)	क्षेत्रफल 501–1000 वर्गफुट के बीच	30.00	30.00	
(ग)	क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट से अधिक	50.00	50.00	
	राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात्, उपभोक्ता प्रभार के प्रत्येक शीर्ष हेतु रू.10.00 की वृद्धि की जायेगी।			
2.	रेस्टोरेंट			
(क)	ग्राहक कुर्सियां स्थापित न हो	200.00	150.00	
(ख)	ग्राहक कुर्सियां 25 से कम	250.00	200.00	
(ग)	ग्राहक कुर्सियां 26–50 के बीच	350.00	300.00	
(घ)	ग्राहक कुर्सियां 50 से अधिक	500.00	450.00	
	राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात्, उपभोक्ता प्रभार के प्रत्येक शीर्ष हेतु रू. 30.00 की वृद्धि की जायेगी।			

3.	होटल / लॉज / अतिथि गृह								
	संवर्ग	प्रति कमरा		प्रति रेस्टोरेंट		प्रति बगीचा		प्रति बैंक्वेट हॉल	
		नगर पालिका परिषद्	नगर पंचायत	नगर पालिका परिषद्	नगर पंचायत	नगर पालिका परिषद्	नगर पंचायत	नगर पालिका परिषद्	नगर पंचायत
(क)	25 कमरों से कम			500.00	350.00	300.00	200.00	500.00	400.00
(ख)	25–50 कमरों के बीच	30.00	20.00	1000.00	750.00	450.00	350.00	1000.00	800.00
(ग)	50 कमरों से अधिक			1500.00	1250.00	750.00	500.00	2000.00	1500.00

टीप: कमरों की संख्या की गणना, केवल अतिथि के उपयोग करने हेतु चिन्हांकित कमरों के आधार पर की जायेगी, किचन एवं अन्य उपयोग के कमरे गणना में नहीं लिये जायेंगे।

राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात्, उपभोक्ता प्रभार में प्रति कमरे रू.10.00 एवं सभी अन्य शीर्ष हेतु रू. 50.00 की वृद्धि की जायेगी।

4.	**धर्मशाला (धर्मशाला)**			
	प्रति कमरा	10.00	10.00	
	प्रति हॉल	250.00	200.00	

राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात्, उपभोक्ता प्रभार में प्रति कमरे रू.10.00 एवं प्रति हॉल रू. 50.00 की वृद्धि की जायेगी।

5.	**बारात घर (बारात घर) / मैरिज हॉल**	3000.00	2000.00	

टीप: प्रत्येक कार्यक्रम के लिये अनुमति हेतु विहित शुल्क या अनापत्ति प्रमाणपत्र या कोई भी अन्य समाशोधन प्रभार, इत्यादि, वर्तमान नियमों के अनुसार पृथक से देय होंगे।

राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात्, उपभोक्ता प्रभार में रू. 500.00 की वृद्धि की जायेगी।

6.	**शैक्षणिक संस्थाएं**			
(क)	प्राथमिक शाला (शास.)	50.00	40.00	
(ख)	प्राथमिक शाला (निजी)	200.00	150.00	
(ग)	उच्च / उच्चतर माध्यमिक शाला (शास.)	80.00	60.00	
(घ)	उच्च / उच्चतर माध्यमिक शाला (निजी)	800.00	750.00	
(ड)	महाविद्यालय (शास.)	100.00	80.00	
(च)	महाविद्यालय (निजी)	1000.00	800.00	
(छ)	विश्वविद्यालय (शास.)	150.00	120.00	
(ज)	विश्वविद्यालय (निजी)	1500.00	1500.00	
(झ)	अन्य शैक्षणिक संस्थाएं (शास.)	180.00	150.00	
(ञ)	अन्य शैक्षणिक संस्थाएं (निजी)	500.00	500.00	

राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात्, उपभोक्ता प्रभार में शासकीय संस्थाओं हेतु रू. 20.00 एवं निजी संस्थाओं हेतु रू. 50.00 की वृद्धि की जायेगी।

7.	अस्पताल / नर्सिंग होम (जैव अपशिष्ट प्रबंधन को छोड़कर)					
	संवर्ग	नगरपालिका परिषद्		नगर पंचायत		
		शास.	निजी	शास.	निजी	
(क)	बिस्तर सुविधा न हो	180.00	200.00	150.00	180.00	
(ख)	बिस्तर 20 से कम	200.00	500.00	180.00	400.00	
(ग)	बिस्तर 21–100 के बीच	300.00	1000.00	250.00	800.00	
(घ)	बिस्तर 100 से अधिक	500.00	1500.00	400.00	1200.00	
	राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात्, उपभोक्ता प्रभार में रू. 100.00 की वृद्धि की जायेगी।					
8.	**चिकित्सालय**	250.00		150.00		
	पैथोलॉजी लैब	450.00		250.00		
	राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात्, उपभोक्ता प्रभार में रू. 50.00 की वृद्धि की जायेगी।					
9.	**वाणिज्यिक स्थापना**					
(क)	वेंडर्स	30.00		20.00		
(ख)	क्षेत्रफल 100 वर्गफुट तक	80.00		50.00		
(ग)	क्षेत्रफल 101–300 वर्गफुट के बीच	150.00		100.00		
(घ)	क्षेत्रफल 301–500 वर्गफुट के बीच	200.00		150.00		
(ङ)	क्षेत्रफल 500–1000 वर्गफुट के बीच	250.00		200.00		
(च)	क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट से अधिक	500.00		400.00		
(छ)	शॉपिंग मॉल / कॉम्प्लेक्स	रू. 0.75 प्रति वर्गफुट प्रतिमाह		रू. 0.50 प्रति वर्गफुट प्रतिमाह		
	राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात्, उपभोक्ता प्रभार में वेंडर्स के लिये रू. 10.00 एवं शीर्ष (ख से च) के लिये रु. 50.00 एवं शॉपिंग मॉल / कॉम्प्लेक्स के लिये रू. 00.10 प्रति वर्गफुट की वृद्धि की जायेगी।					
10.	**सब्जी / फल / फूल / मुर्गा / मछली / मटन मार्केट–**					
(क)	वेंडर्स	30.00		30.00		
(ख)	क्षेत्रफल 100 वर्गफुट तक	150.00		150.00		
(ग)	क्षेत्रफल 101–300 वर्गफुट के बीच	450.00		450.00		
(घ)	क्षेत्रफल 301–500 वर्गफुट के बीच	750.00		750.00		
(ङ)	क्षेत्रफल 500 वर्गफुट से अधिक	1000.00		1000.00		
	राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात्, उपभोक्ता प्रभार में वेंडर्स के लिये रू.10.00 एवं शीर्ष (ख से ङ) के लिये रु. 30.00 की वृद्धि की जायेगी।					
(क)	ट्रक / एलसीवी द्वारा	50.00 प्रति एलसीवी		50.00 प्रति एलसीवी		
(ख)	सब्जी / फल / फूल / लोडिंग / अनलोडिंग	60.00 प्रति ट्रक		60.00 प्रति ट्रक		
	राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात्, उपरोक्त प्रभार में रू. 20.00 की वृद्धि की जायेगी।					

11.	ब्यूटी पार्लर	150.00	100.00	
	राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात्, उपरोक्त प्रभार में रू. 50.00 की वृद्धि की जायेगी।			
12.	सिनेमा थियेटर	500.00	400.00	
	टीपः—सिनेमा थियेटर के परिसर की अन्दर की दुकानों को पृथक वाणिज्यिक स्थापना के रुप में समझा जायेगा एवं स. क्र. 9 में विनिर्दिष्ट प्रभारों के अनुसार पृथक से प्रभारित किया जायेगा। राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात्, उपरोक्त प्रभार में रू. 50.00 की वृद्धि की जायेगी।			
13.	निजी मनोरंजन (आमोद) पार्क	1500.00	1000.00	
	राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात्, उपरोक्त प्रभार में रू. 150.00 की वृद्धि की जायेगी।			
14.	आश्रम शालायें (निजी)	400.00	300.00	
	राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात्, उपरोक्त प्रभार में रू. 50.00 की वृद्धि की जायेगी।			
15.	सर्कस / प्रदर्शनी / मेला / खुले स्थान में सार्वजनिक समारोह	1000.00	500.00	
	राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात्, उपरोक्त प्रभार में रू.100.00 की वृद्धि की जायेगी।			
16.	अन्य, जो ऊपर परिभाषित नहीं है	जैसा कि नगरपालिका परिषद् द्वारा मूल्यांकित किया जाये।		

(2) उपभोक्ता प्रभार के भुगतान करने वाले व्यक्ति को, भुगतान करने के पश्चात् अविलंब समुचित रसीद जारी करना होगा।

(3) उपभोक्ता प्रभार, यदि बकाया है, तो उसकी वसूली अधिनियम के अध्याय आठ के अनुसार नगरपालिका दावों की बकाया के रूप मे की जायेगी।

(4) जो कोई भी अपशिष्ट (कूड़ा) जमा करने की प्रकिया की उपेक्षा करता है, जिसमें परिषद् / नगर पंचायत द्वारा यथा विहित स्त्रोत पर विभिन्न अपशिष्ट (कूड़ा) के संग्रहण मे विफलता अथवा अपशिष्ट (कूड़ा) फैलाने का प्रयास सम्मिलित है, वह अधिनियम के अनुसार अभियोजन हेतु दायी होगा।

(5) यह आदेश, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 5—14 / 2017 / 18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5—14 / 2017 / 18 दिनांक 05—07—2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 5th July 2017

No. F 5-14/2017/18.–In exercise of the powers conferred by Section 127-B of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No.37 of 1961) the Government hereby issues the following general order in respect of user charges for door-to-door collection of municipal solid waste, namely,-

(1) The Municipality or the Nagar Panchayat, as the case may be, shall levy user charges in such wards of the town where the door-to-door collection of segregated waste is started, from the date of commencement of the service, at a rate that shall not be less than described in the table below, namely:

TABLE

S. No.	User Category	User Charge in Rupees Per Month		Remarks
		Municipal Council	Nagar Panchayat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**Houses**			
(a)	Area upto 500 sq. ft.	20.00	20.00	Pro poor, destitute (Shelter less), Widow, enunciated women, Divyangs and Leprosy effected persons are exempted from payment of user charges.
(b)	Area between 501-1000 sq. ft.	30.00	30.00	
(c)	Area Over 1000 sq. ft.	50.00	50.00	
	Each Head of user charge will be increased by Rs.10.00 after every third year, starting from the date of its publication in the Official Gazette.			
2.	**Restaurant**			
(a)	Establishment not having Customer Chairs	200.00	150.00	
(b)	Customer Chair below 25	250.00	200.00	
(c)	Customer Chair between 26-50	350.00	300.00	
(d)	Customer Chair above 50	500.00	450.00	
	Each Head of user charge will be increased by Rs.30.00 after every third year, starting from the date of its publication in the Official Gazette.			

3.	**Hotel/Lodge/Guest House**								
	Category	Per Room		Per Restaurant		Per Garden		Per Banquet Hall	
		Munici-pal Council	Nagar Panchayat	Munici-pal Council	Nagar Panchayat	Munici-pal Council	Nagar Panchayat	Munici-pal Council	Nagar Panchayat
(a)	Less Than 25 Rooms	30.00	20.00	500.00	350.00	300.00	200.00	500.00	400.00
(b)	Between 25-50 Rooms			1000.00	750.00	450.00	350.00	1000.00	800.00
(c)	More than 50 Rooms			1500.00	1250.00	750.00	500.00	2000.00	1500.00
	Note: Numbers of rooms will be counted on the basis of Rooms earmarked for Guest use only, Kitchen and other usage rooms will not be taken for calculation. User charge for Per Room will be increased by Rs.10.00 and all other heads by Rs.50.00 after every third year, starting from the date of its publication in the Official Gazette.								

4.	**Hospice (Dharamshala)**			
	Per Room	10.00	10.00	
	Per Hall	250.00	200.00	
	User charge for Per Room will be increased by Rs.10.00 and per Hall by Rs.50.00 after every third year, starting from the date of its publication in the Official Gazette.			
5.	**Procession House(Barat Ghar) / Marriage Hall**	3000.00	2000.00	
	Note: For every event prescribed Fees for Permission or NOC or any other clearance charges etc to be paid separately as per the extant rules. User charge will be increased by Rs.500.00 after every third year, starting from the date of its publication in the Official Gazette.			
6.	**Educational institutes**			
(a)	Primary School(Govt.)	50.00	40.00	
(b)	Primary School(Private)	200.00	150.00	
(c)	High/Higher Secondary School (Govt.)	80.00	60.00	
(d)	High/Higher Secondary School (Private)	800.00	750.00	
(e)	College (Govt.)	100.00	80.00	
(f)	College (Private)	1000.00	800.00	
(g)	Universities (Govt.)	150.00	120.00	
(h)	Universities (Private)	1500.00	1500.00	
(i)	Other educational institutes (Govt.)	180.00	150.00	
(j)	Other educational institutes (Private)	500.00	500.00	
	User charge will be increased by Rs.20.00 for Govt Institutions and Rs. 50.00 for Private Institutions, after every third year starting from the date of its publication in the Official Gazette.			

7.	**Hospital/Nursing Home (Exclusive of Bio Waste Management)**					
	Category	Municipal Council		Nagar Panchayat		
		Govt.	Private	Govt.	Private	
(a)	No Bed facility	180.00	200.00	150.00	180.00	
(b)	Below 20 Bed	200.00	500.00	180.00	400.00	
(c)	Between 21-100 Bed	300.00	1000.00	250.00	800.00	
(d)	Above 100 Bed	500.00	1500.00	400.00	1200.00	
	User charge will be increased by Rs.100.00 after every third year starting from the date of its publication in the Official Gazette.					

8.	**Clinic**	250.00	150.00	
	Pathology Lab	450.00	250.00	
	User charge will be increased by Rs.50.00 after every third year, starting from the date of its publication in the Official Gazette.			

9.	**Commercial Establishment**			
(a)	Vendors	30.00	20.00	
(b)	Area upto100 sq foot	80.00	50.00	
(c)	Area between 101-300 sqft.	150.00	100.00	
(d)	Area between 301-500 sqft	200.00	150.00	
(e)	Area between 501-1000 sqft	250.00	200.00	
(f)	Area over 1000 sqft	500.00	400.00	
(g)	Shopping Mall/Complex	Rs. 0.75 per sqft per month	Rs. 0.50 per sqft per month	
	User charge for Vendors will be increased by Rs.10.00 and for heads (b to f) by Rs.50.00 and for Shopping Mall/ Complex by Rs.00.10 per sqft. After every third year, starting from the date of its publication in the Official Gazette.			
10.	**Vegetable/Fruit/Flower /Chicken / Fish/ Mutton Market -**			
(a)	Vendors	30.00	30.00	
(b)	Area upto100 sq foot	150.00	150.00	
(c)	Area between 101-300 sq foot	450.00	450.00	
(d)	Area between 301-500 sq foot	750.00	750.00	
(e)	Area over 500 sq foot	1000.00	1000.00	
	User charge for Vendors will be increased by Rs.10.00 and for heads (b to e) by Rs.30.00 After every third year, starting from the date of its publication in the Official Gazette.			
(a)	Vegetable /Fruit/ Flower/ Loading/Unloading by Truck /LCV	50.00 Per LCV	50.00 Per LCV	
(b)		60.00 Per Truck	60.00 Per Truck	
	Above charges will be increased by Rs.20.00 after every third year, starting from the date of its publication in the Official Gazette.			
11.	Beauty Parlour	150.00	100.00	
	Above charges will be increased by Rs.50.00 After every third year, starting from the date of its publication in the Official Gazette.			
12.	Cinema Theatre	500.00	400.00	
	Note:- Shops inside the premises of Cinema Theatre will be treated as separate commercial establishments and will be charged separately as per charges specified in S.No.9. Above charges will be increased by Rs.50.00 after every third year, starting from the date of its publication in the Official Gazette.			
13.	Private Entertainment (Amusement) Park	1500.00	1000.00	
	Above charges will be increased by Rs.150.00 after every third year, starting from the date of its publication in the Official Gazette.			
14.	Hermitage House (Private)	400.00	300.00	
	Above charges will be increased by Rs.50.00 after every third year, starting from the date of its publication in the Official Gazette.			

15.	Circus/ exhibition/ fairs/ public function in open place	1000.00	500.00	
	Above charges will be increased by Rs.100.00 after every third year, starting from the date of its publication in the Official Gazette.			
16.	Others, which a not defined above	As may be assessed by the Municipal Council.		

(2) Proper receipts shall be issued to the person making payment of user charges as soon as the payment is made.

(3) User charges, if unpaid, shall be recovered as arrears of municipal claims in terms of Chapter VIII of the Act.

(4) Whoever disregards the procedure for deposit of waste, including failure to collection of segregate waste at source, as prescribed by the Council / Nagar Panchayat, or resorts to littering of garbage shall be liable for prosecution in terms of the Act.

(5) This order shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Joint Secretary.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 7-06/2017/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 17-5-2017 द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये, दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में उपांतरण

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (एकड़ में)	विकास योजना में अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रावांभाटा प.ह.नं. 28	391/9, 391/17, 391/18, 391/19	9.00 एकड़	आवासीय एवं मार्ग	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (मार्ग छोड़कर) (कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल)

2. उक्त उपांतरण कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल प्रयोजन हेतु हैं.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण रायपुर योजना (पुनर्विलोकित) 2031 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.